कोर्ट केस प्रकरण में दिशा-निर्देश

संख्या-25/2020/657/86-2019

प्रेषक,

हृदय नारायण सिंह यादव,
अनु सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्तजिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 अप्रैल, 2019

विषयः-माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाने वाली प्रस्तरवार आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रायः देखा जा रहा है कि माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के आवरण पत्र में विषयगत रिट याचिकाओं के परिचयात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया जा रहा हैं, जिससे कभी-कभी प्रकरण की विषयवस्तु का पता नहीं चल पाता हैं।

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के आवरण पत्र में यह अवश्य उल्लिखित किया जाय कि विषयगत रिट याचिका का प्रकरण क्या है, रिट किस कार्यवाही-आदेश के विरूद्ध है, कृत कार्यवाही के विरूद्ध किस आधार पर रिट योजित है, रिट के कतिपय प्रस्तर किस प्रकार स्वीकार्य हैं और रिट के मूल आधार किस कारण अस्वीकार्य हैं।उक्त के दृष्टिगत प्रकरण की परिचयात्मक पृष्ठभूमि तथा संस्तुति सहित प्रस्तरवार आख्या व प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

संख्याः 657/86-2019 दिनांकः-

प्रतिलिपि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in